प्रदेश में सायबर क्राइम का गढ़ बने भोपाल और इंदौर जिले

इंटरनेट के जरिए फरेब, ठगी और चरित्र हनन में इंदौर दूसरे नंबर पर

जफर खान जफर • इंदौर
मो.नं. 9926033955

इंटरनेट के जरिए फरेब, फर्जी प्रोफाइलें, ठगी और चरित्र हनन के मामले में इंदौर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। ढाई वर्ष में घटित सायबर अपराधों की समीक्षा में उभरे तथ्यों से पता चला है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर जिले सायबर अपराधियों का गढ़ बन गए हैं। इसके मद्देनजर सायबर अपराधों पर नियंत्रण व सोश्यल मीडिया जैसे फेसबुक आदि पर भी नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों के लिए इंदौर में न केवल नया ट्रैनिंग कोर्स, बल्कि एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार है। इसके टूल बनाए जा रहे हैं।

पुलिस द्वारा नया ट्रैनिंग कोर्स व सॉफ्टवेअर भी तैयार

टेक्नालॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ मध्यप्रदेश में घटित हो रहे सायबर क्राइम की समीक्षा की गई है ताकि अपराध ने बदले स्वरूप की चुनौती के लिए नए तरीके से पुलिस को प्रशिक्षण दिया जा सके। ये समीक्षा पुलिस रेडियो ट्रैनिंग स्कूल इंदौर द्वारा की गई है। पिछले ढाई वर्ष के दौरान हुए सायबर अपराधों की समीक्षा के लिए प्रदेशभर के जिलों से जानकारियां बुलाई गई थी। समीक्षा में ये खुलासा हुआ है कि भोपाल और इंदौर सायबर अपराधियों के लिए गढ़ बना गया है। इंटरनेट के जरिए फरेब, ठगी और चरित्र हनन में इंदौर दूसरे नंबर पर है, जबकि भोपाल पहले नंबर पर। सर्वाधिक 479 सायबर केस भोपाल जिले में दर्ज हुए थे जबकि 234 मामले इंदौर जिले में हुए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आईटी एक्ट की धारा 66-ए को निरस्त कर दिया गया है। इंदौर जिले में इस धारा से जुड़े 118 केस तथा भोपाल जिले में 168 केस पिछले ढाई वर्ष में दर्ज हुए थे।

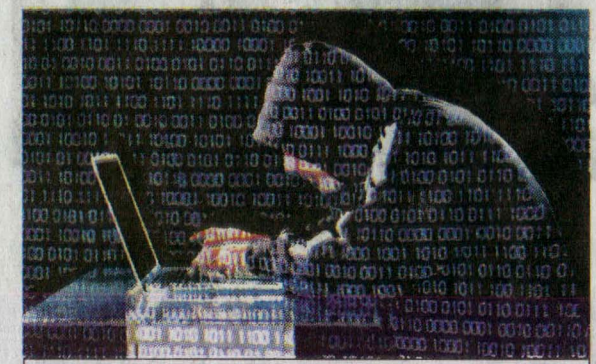

आईडी चोरी, ऑनलाइन धोखे दिए

सायबर अपराधियों ने इंदौर और भोपाल मे इंटरनेट के जरिए ई-मेल आईडी चोरी कर वारदातें की वही पासवर्ड चुराकर फर्जी प्रोफाइलें भी बनाई। कभी नौकरी तो कभी लॉटरी खुलने के नाम पर कई लोगो को फरेब भी दिए। इंदौर मे आईडी चोरी के 23 मामले सामने आए जबकि फर्जी प्रोफाइल, चरित्र हनन, सायबर बुलिंग, स्टाकिंग के 118 मामले हुए। नौकरी व लॉटरी के नाम पर धोखा व आर्थिक चपत लगाने के 21 केसं हुए। पोर्नोग्राफी के 17, ऑन लाइन गैंबलिंग के 15, डेटा चोरी के 4, ऑन लाइन बैंकिंग व शापिंग फ्राड की 18 वारदातें भी हुई। समीक्षा अवधि में भोपाल जिले मे आईडी चोरी के 85, नौकरी व लॉटरी के नाम पर छलावे के 56, पोर्नोग्राफी के 22 केस सामने आए थे।

किस जिले में कितने प्रकरण दर्ज?

अधिकृत सूत्रों ने बताया कि जनवरी 2011 से लेकर ढाई वर्ष तक की अवधि में दर्ज जानकारी के अनुसार भोपाल जिले में सायबर क्राइम के कुल 479 प्रकरण, इंदौर में 234 प्रकरण, ग्वालियर में 76, जबलपुर में 77, उज्जैन में 36, खरगोन में 32, खंडवा में 27, मंदसौर में 38, रतलाम में 36, बैतुल में 48, शहडोल में 36 और सागर जिले में 31 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे।

जरूरत है अलग सायबर एक्ट की

आईजी व पीआरटीएस के निदेशक वरुण कपूर का मानना है कि प्रदेश मे अब अलग से सायबर एक्ट बनाए जाने की जरूरत है। आईटी एक्ट वर्ष 2000 मे बना था। ये एक्ट औद्योगिक व

कर्मशियल क्षेत्रों मे डिजीटल सिग्नेचर के उपयोग तथा हो रहे क्राइम के मद्देनजर बनाया गया था। अब चूंकि सायबर अपराध कई तरह की श्रेणियो मे बढ़ रहे है इसलिए अलग से सायबर एक्ट की आवश्यकता है। कपूर ने बताया कि पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल द्वारा सायबर क्राइम की 17 श्रेणियो में गहन समीक्षा के बाद नया प्रशिक्षण कोर्स तैयार कर लिया गया। आगामी दिनो में सॉफ्टवेयर व टूल के जरिए प्रदेश के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।